मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 2-2/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 19 मार्च,2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्तीय स्वीकृतियों तथा आदेशों की संसूचना महालेखाकार कार्यालय को पृष्ठांकित किये जाने के संबंध में ।

—•—

मध्यप्रदेश वित्त संहिता जिल्द एक के नियम 60 में वित्तीय स्वीकृतियों के संसूचना के प्रावधान है । इस नियम के खंड-2 में वर्तमान में यह प्रावधान है कि जिन मामलों में शासन के विभाग अथवा अन्य किसी प्राधिकारी को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं हैं तो ऐसे मामलों में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्राप्त होगें । वित्त विभाग की सहमति के उपरांत आदेश, प्रशासकीय विभाग द्वारा यू.ओ.क्रमांक एवं दिनांक जिसके द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की है, का उल्लेख कर, जारी किये जा सकेगें । संक्षिप्त में प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृतियां महालेखाकार कार्यालय को वित्त विभाग की सहमति का उल्लेख कर संसूचित किये जाने के प्रावधान है ।

2/ शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि वित्तीय आलिप्तियों के कतिपय मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश जारी किये गये हैं, जिसके असंगत परिणाम सामने आ रहे हैं । अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निम्न मामलों में स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को संसूचित किये जायें :-

1. पे बैण्ड में वेतन/ वेतनमान के पुनरीक्षण संबंधी आदेश ।
2. अतिरिक्त वेतनवृद्धियों की स्वीकृति जो कि नियमों/आदेशों में उल्लिखित न हों ।
3. पदों के सृजन एवं निरंतरता संबंधी आदेश
4. न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन में ब्याज तथा शास्ति के भुगतान संबंधी आदेश।
5. विनिधान की स्वीकृति संबंधी आदेश ।
6. विभिन्न भत्तों तथा मानदेय के पुनरीक्षण संबंधी आदेश ।

3/ उपरोक्त विषय में शासन द्वारा संलग्न अधिसूचना जारी कर मध्यप्रदेश वित्त संहिता जिल्द -1 के नियम 60 के खंड-2 में संशोधन किया गया है । अतः भविष्य में पैरा-2 में उल्लेखित विषयों से संबंधित आदेश वित्त विभाग के माध्यम से पृष्ठांकित कर ही महालेखाकार कार्यालय को भेजे जायें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/ paripa2013

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 2-2/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2013

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

I/Sunita
http/WWW.mp.gov.in/finance

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल
// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2013

क्रमांकः एफ 2-2/2013/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, वित्त संहिता जिल्द एक में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 60 में, खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(दो) ऊपर खण्ड (एक) के अंतर्गत न आने वाली समस्त वित्तीय स्वीकृतियाँ तथा आदेश, वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाने चाहिए । ऐसे आदेशों में यू.ओ. क्रमांक तथा वह तारीख जिसके द्वारा वित्त विभाग की सहमति अभिप्राप्त की गई है, स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए जाएगें । ऐसे आदेश की एक प्रति वित्त विभाग को अभिलेख हेतु पृष्ठांकित की जाएगी, परंतु नीचे उल्लिखित की गई वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार को संसूचित की जाएंगी :-

(क) पे बैण्ड में वेतन/ वेतनमान के पुनरीक्षण संबंधी आदेश ।

(ख) अतिरिक्त वेतनवृद्धियों की स्वीकृति जो कि नियमों/आदेशों में उल्लिखित न हों ।

(ग) पदों के सृजन एवं निरंतरता संबंधी आदेश

(घ) न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन में ब्याज तथा शास्ति के भुगतान संबंधी आदेश ।

(ड.) विनिधान की स्वीकृति संबंधी आदेश ।

(च) विभिन्न भत्तों तथा मानदेय के पुनरीक्षण संबंधी आदेश ।" ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA/AMEND/2013
10

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
VALLABH-BHAWAN MNTRALAYA-BHAPAL

"NOTIFICATION"

Bhopal, dated 19 March, 2013

No. F-2-2/2013/Rule/IV, In exercise of powers conferred by the Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Financial code, Volume-I namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 60, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"[ii] All financial sanctions and orders not coverd under clause (i) above should be issued by the Administrative Department in consultation with the Finance Department. Such orders shall clearly mention the U.O. number and date by which the consent of the Finance Department has been obtained. A copy of such order shall also be endorsed to the Finance Department for record, provided the financial sanctions mentioned below shall will be communicated to the Accountant General through the Finance Department. :-

(a) Orders regarding revision of pay scale /pay in pay band .
(b) Sanction of additional increments not mentioned in rules/orders .
(c) Orders regarding creation and continuation of posts
(d) Orders regarding the payment of interest and penalty in compliance of the court orders .
(e) Orders regarding sanction of investment .
(f) Orders regarding revision of various allowances and honorarium.".

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(Manish Rastogi)
Secretary
Government of Madhya Pradesh
Finance Department.

SUNITA/AMEND/2013
10